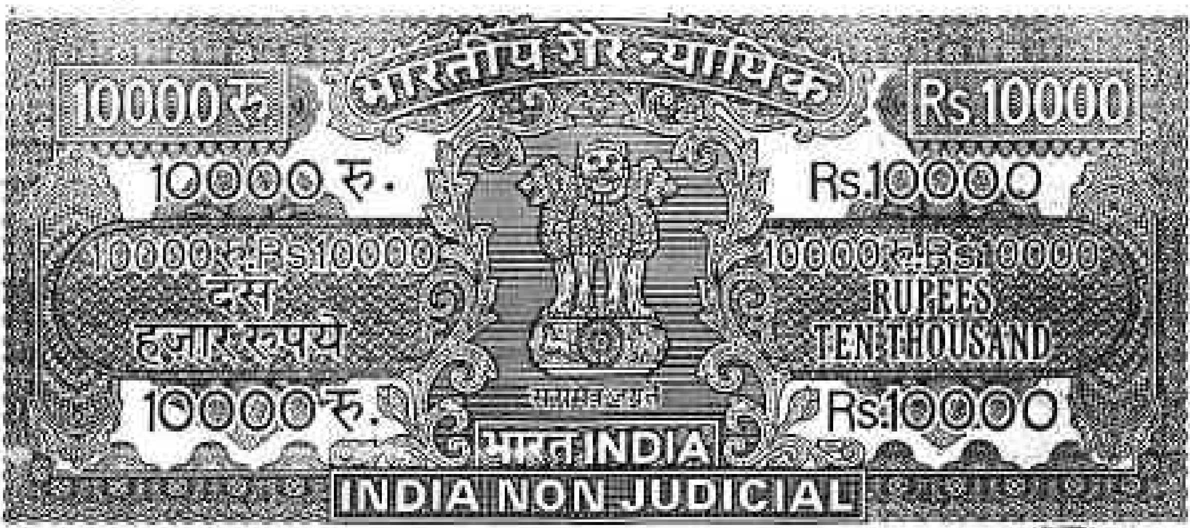

<u>विक्रय विलेख</u>

प्रतिफल की धनराशि - रू0 2,84,544/-

बाजारू मूल्य - रू0 1,98,000/-

अदा किये गये जनरल स्टैम्प- रू0 28,500/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिजनौर
3. ग्राम - बरौना
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 147 रकबा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300341

04 APR 20

0.360 हे0 का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.180 हे0 स्थित ग्राम- बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.180 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	नहीं
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300840

04 APR 2007

<u>चौहद्दी खसरा नं0 147</u>

उत्तर	: खसरा नं0-146
दक्षिण	: खसरा नं0-148
पूरब	: चकरोड
पश्चिम	: खसरा नं0-140, 141

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीमती विद्यावती पत्नी परमेश्वर निवासिनी राजाजीपुरम, लखनऊ।	:	कल्लू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300342

व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख श्रीमती विद्यावती पत्नी परमेश्वर निवासिनी राजाजीपुरम, लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवमु कल्लू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 0.360 हे0 का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.180 हे0 स्थित ग्राम- बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00461 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता पैसों की सख्त आवश्यकता के कारण विक्रेता अपना हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या

INDIA NON JUDICIAL

५०० रू. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न हीं कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फल
विक्रय मूल्य रू0 2,84,544/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त

वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs.500

सत्यमेव जयते

भारत

FIVE HUNDRED RUPEES

करेंगे। विकेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विकेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विकेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0

11,00,000/- प्रति हेक्टेअर हिसाब से विक्रीत भूमि 0.180 हेक्टेअर की मालियत रू0 1,98,000/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 28,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व [illegible] विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्ट: भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेता को रू0 2,84,544/- द्वारा चेक संख्या- 413885 दिनांकित 14.05.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

284,544.00/	**248,000.00**	5,000.00	40	5,040.00	2,000	
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री / श्रीमती विद्यावती
पुत्र / पत्नी श्री परमेश्वर
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी राजाजीपुरम लखनऊ
अस्थायी पता

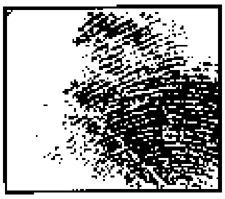

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 14/5/2007 समय 4:51PM
बजे ...

उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
14/5/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती विद्यावती
पुत्र/पत्नी श्री परमेश्वर
पेशा गृहिणी
निवासी राजाजीपुरम लखनऊ

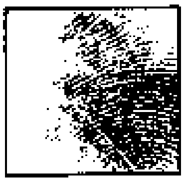

क्रेता
श्री/श्रीमती कल्लू
पुत्र/पत्नी श्री जगदीश
पेशा व्यापार
निवासी मिर्जापुर बिटारी फतेहपुर

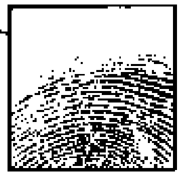

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सहजराम
पुत्र श्री शीतल
पेशा कृषि
निवासी सोनई कजेहरा लखनऊ

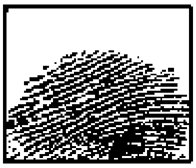

व श्री संजीव कुमार
पुत्र श्री बी बहादुर
पेशा व्यापार
निवासी लालबाग लखनऊ

ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
14/5/2007

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 2,84,544/- (रुपया दो लाख चौरासी हजार पांच सौ चौवालिस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊः
दिनांक : 14.05.2007
गवाह :-क्रेता की पहचान की
1.

विक्रेता

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

टाईपकर्ता
(एम0 कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसौदाकर्ता
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 4744

0101 विद्यावती

परमेश्वर

राजाजीपुरम लखनऊ

गृहिणी

ग्राम गढ़ीना

परगना किठौर तहसील

खाता सं 171

जिला मेरठ

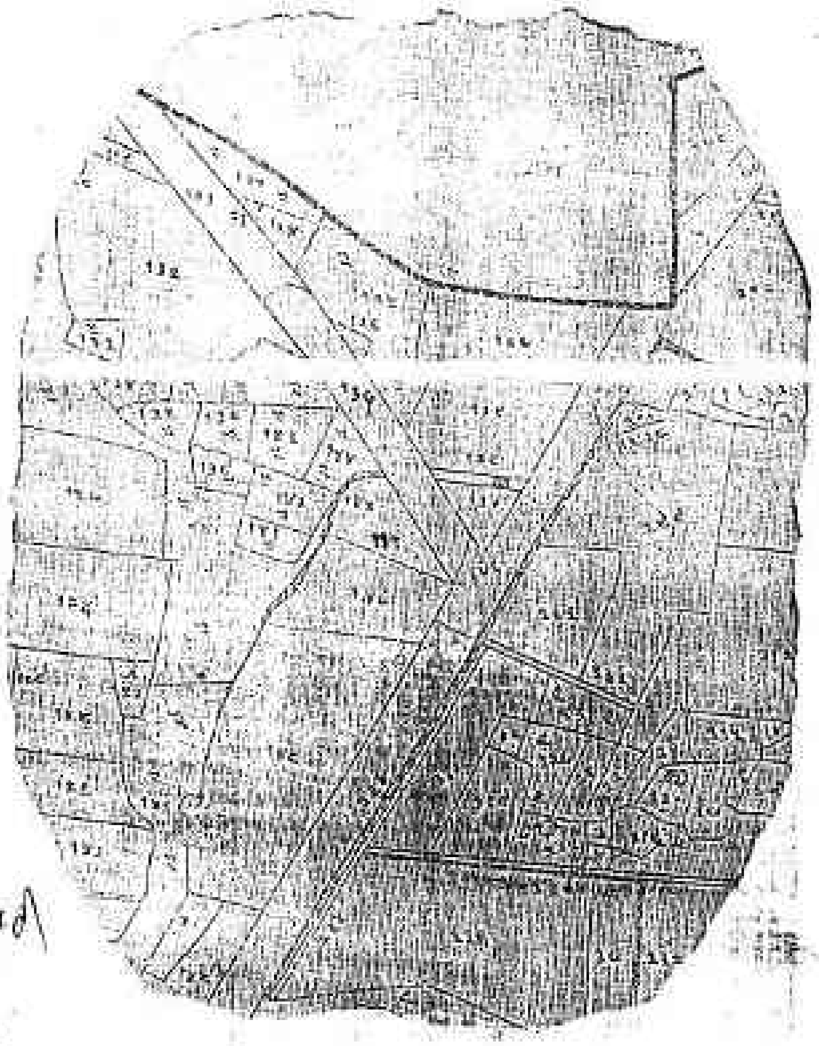

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

Registration No. 4744 Year : 2007 Book No. 1

0201 कल्लू

जगदीश

मिलोपुर मिहारी फतेहपुर

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा-32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:- श्रीमती विद्यावती पत्नी परमेश्वर निवासिनी राजाजीपुरम, लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता

क्रेता का नाम व पता- कल्लू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

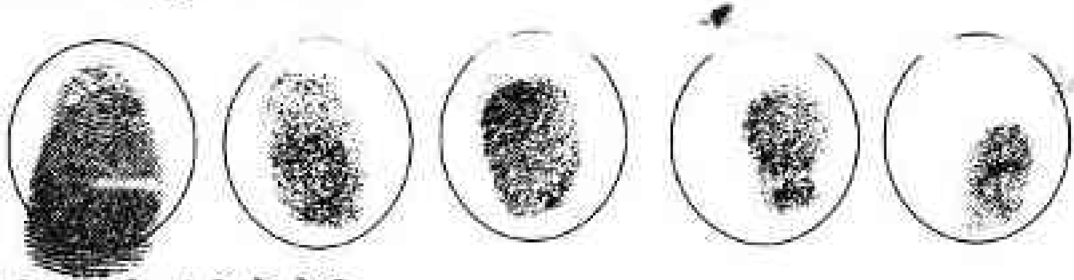

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक **14/05/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **8330**

पृष्ठ सं **51** से **80** पर क्रमांक **4744**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
14/5/2007